आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि.30-25/2020 - 2715

प्रेषक,

योगेन्द्र राम
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 20.7.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नगरपालिका के फलस्वरूप मतदाता सूची के संशोधन के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी हेतु आयोग का पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया था। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 19 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पंचायत निकायों के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी का दायित्व सौंपा गया है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-126 में प्रावधान है कि ``राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, में जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे वे सभी व्यक्ति पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे।''

उक्त परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के वैसे पंचायत क्षेत्र के मतदाता जो नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 8 के आलोक में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में आ गये हैं, वे अब पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे। जिला स्तर पर ग्राम पंचायत अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हुए क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है, उन क्षेत्रों को पंचायत क्षेत्र से अलग करते हुए तदनुसार ग्राम पंचायत के मतदाता सूची को संशोधित किया जाना है।

उक्त सन्दर्भ में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम निम्नवत उद्धृत हैं :-

> **नियम 23. मतदाता सूची में संशोधन** – नियम 21 के अधीन बनायी गयी और नियम 22 के अधीन प्रकाशित की गई मतदाता सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, नियम 22 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लिखित आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी त्रुटि का निवारण कर सकेगा और तदनुरूप मतदाता सूची संशोधित की जा सकेगी।

19.7.21

उक्त आलोक में नगरपालिका क्षेत्र में आ गये वैसे मतदाता जो अब पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे, को पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार अलग करते हुए तदनुसार उन क्षेत्रों के संबंध में व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जाए। जिन स्थानों में साप्ताहिक हाट बाजार लगते हों वहाँ ढोल पीटकर मतदाता सूची में संशोधन संबंधी सूचनाओं का प्रचार कराया जाए तथा तत्संबंधी सूचना का प्रकाशन दिनांक 24.07.2021 से दिनांक 30.07.2021 तक सात दिनों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर किया जाये :-

(क) ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में।
(ख) ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय में।
(ग) पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में।
(घ) जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में।

यदि आपत्ति प्राप्त होते हैं तो नियमानुसार आपत्ति का निराकरण दिनांक 05.08.2021 तक कर ली जाय। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन करने की कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि मतदाता सूची में संशोधन संबंधी कार्रवाई अन्तिम रूप से दिनांक 10.08.2021 तक सुनिश्चित की जाय। उक्त निदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाय एवं कृत कार्रवाई से आयोग को दिनांक 02.08.2021 तक अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 2715 पटना, दिनांक – 20.7.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 2715 पटना, दिनांक – 20.7.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से नियमित समीक्षा करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 2715 पटना, दिनांक – 20.7.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आयोग के वेवबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।
20/7/21